भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 144
02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान कार्ड

144. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एवी-पीएमजेएवाई) का कार्यान्वियन कर रहे राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा ओडिशा राज्यों में विगत तीन वर्षो मं प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षो मे प्रत्येक वर्ष के दौरान एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए और बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) के उपचार और लाभार्थियों के अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना व्यय हुआ;

(घ) देश में इस योजना के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या आवश्यक कदम उठाए गए है;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत रोगियों को चिकित्सा सुविधा संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड और निर्धारित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के कई परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत नामांकित नहीं किया गया है जिसके कारण वे इसके लाभों से वंचित हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (च): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जिसका लक्ष्य भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से वाले 12 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है।

एबी-पीएमजेएवाई दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश भर के 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या इस प्रकार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23
तमिलनाडु	179	373	32,44,708
महाराष्ट्र	2,70,786	3,72,001	17,67,038
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18,795	6,095	813

यह योजना केवल रोगी को निशुल्क परिचर्या अर्थात अस्पताल में भर्ती की सुविधा प्रदान करती है। ओपीडी सेवाएं इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए व्यय के साथ-साथ योजना के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक- I में दिया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई एक पात्रता-आधारित योजना है और इसका कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन के पहले दिन से ही सभी पात्र लाभार्थी परिवारों को कवर किया गया है। इस योजना के लिए नामांकन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, लाभार्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके अलावा, सत्यापित लाभार्थियों को पात्रता और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत विभिन्न पहल की गई हैं कि इस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जिसमें आपके द्वार आयुष्मान, आयुष्मान भव अभियान, आयुष्मान कार्ड संतृप्ति के लिए आयुष्मान ऐप का शुभारंभ आदि शामिल हैं। आयुष्मान कार्ड निर्माण विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दी जाने वाली ऑन-स्पॉट सेवाओं में से एक है। लगातार प्रयासों के फलस्वरूप 29.01.2024 तक देशभर में 30.76 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

इसके अलावा, लाभार्थियों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों को योजना के तहत पैनलबद्ध किया गया है। आज तक, 27,742 अस्पतालों को योजना के तहत पैनलबद्ध किया गया है।

आरंभ में, एबी पीएम-जेएवाई के तहत 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चयनित वंचित और व्यावसायिक मानदंडों का उपयोग करते हुए वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर लक्षित किया गया था। जनवरी 2022 में, भारत सरकार ने लाभार्थी आधार को 12 करोड़ परिवारों तक संशोधित किया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए समान सामाजिक-आर्थिक के अन्य डिजीटल डेटाबेस का उपयोग करने की छूट दी गई है।

तदनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के तहत सत्यापन के लिए गरीब और कमजोर परिवारों के आधार-सीडेड डेटाबेस प्रदान किए हैं। कैशलेस उपचार लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी सीधे देश भर में किसी भी पैनलबद्ध अस्पताल (सार्वजनिक या निजी) में उपचार करवा सकता है।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत 12 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का विस्तार किया है। योजना के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत से ही सभी पात्र लाभार्थी परिवारों को कवर किया गया है। आयुष्मान कार्ड के अभाव में किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के तहत उपचार कराने में कोई बाधा नहीं आती है। आयुष्मान कार्ड पात्रता और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में जारी किए जाते हैं। इस योजना की प्रकृति मांग-आधारित होने के कारण, लाभार्थी आमतौर पर आयुष्मान कार्ड तब बनाते हैं जब उन्हें किसी चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है।

29.01.2024 तक 30.8 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। योजना के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में है। राज्यों के साथ मिलकर देश भर में बड़े पैमाने पर आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड को संतृप्त करने के लिए की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

i. आयुष्मान भव: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12.09.2023 को आरंभ किया गया यह आयुष्मान भव, एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करना है, अंततः अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचना है। इस पहल में कार्यकलापों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें 'आपके द्वार आयुष्मान 3.0', 'आयुष्मान सभा', 'आयुष्मान मेले' और गांवों को 'आयुष्मान ग्राम' का दर्जा देने का अंतिम लक्ष्य शामिल है।
ii. आयुष्मान ऐप: नवीनतम तकनीक का उपयोग करके एक एंड्रॉइड आधारित 'आयुष्मान ऐप' विकसित किया गया है जो आयुष्मान कार्ड के निर्माण के लिए प्रमाणीकरण के तरीके यानी फेस-ऑथ, ओटीपी, आईआरआईएस और फिंगरप्रिंट सुविधा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए किसी भी मोबाइल डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है।
iii. आपके द्वार आयुष्मान: आयुष्मान भव अभियान के हिस्से के रूप में 17.09.2023 को एडीए 3.0 आरंभ किया गया है, जिसमें आयुष्मान ऐप के माध्यम से लाभार्थियों के लिए स्व-सत्यापन सुविधा सक्षम बनाई गई है।

*****

अनुलग्नक-I

<u>विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किए गए व्यय के साथ एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण</u>

(राशि रु.में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	311	1,02,36,710	794	2,16,52,485	695	2,60,63,932
आंध्र प्रदेश	7,56,406	19,08,02,00,000	11,60,904	27,15,68,00,000	15,42,183	33,38,22,00,000
अरुणाचल प्रदेश	70	16,78,125	231	37,36,180	1,019	1,84,82,093
असम	91,772	1,39,18,35,257	1,75,310	2,66,77,37,289	2,39,612	3,90,42,79,296
बिहार	84,812	76,55,02,124	1,14,882	1,35,00,47,086	2,12,504	2,29,17,53,024
चंडीगढ़	5,206	3,08,44,095	8,207	5,39,26,374	10,271	9,31,44,651
छत्तीसगढ़	4,92,288	5,14,46,01,495	8,93,285	9,62,58,80,196	12,86,731	14,85,95,25,184
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	18,862	11,54,41,342	20,526	14,62,88,819	21,422	16,31,60,019
गोवा	139	28,72,856	167	38,00,809	407	78,68,621
गुजरात	8,23,589	11,32,66,54,900	5,58,564	15,97,46,99,223	9,08,184	26,23,95,63,868
हरियाणा	1,37,044	1,55,52,47,368	1,84,108	2,38,55,32,133	2,82,782	4,20,98,26,775
हिमाचल प्रदेश	28,394	35,24,67,427	46,548	69,43,69,380	62,142	79,69,65,530
जम्मू और कश्मीर	62,519	57,20,07,889	2,46,823	4,46,38,33,680	3,79,759	6,97,46,07,643
झारखंड	2,92,945	2,94,35,61,932	3,24,024	4,40,95,94,590	4,05,671	4,90,98,97,278
कर्नाटक	6,52,150	6,88,43,84,722	10,83,580	9,62,93,84,141	22,13,619	16,60,93,00,000
केरल	10,40,111	7,61,45,62,339	16,96,845	15,68,87,61,430	12,22,500	17,00,57,58,025
लद्दाख	-	-	505	67,07,803	5,186	8,39,27,662
लक्षद्वीप	-	-	64	19,40,020	401	1,17,19,130
मध्य प्रदेश	3,77,006	5,37,59,33,250	7,02,119	11,63,35,08,654	11,49,586	19,32,79,74,790
महाराष्ट्र	1,42,631	3,90,33,32,609	1,29,700	3,46,16,57,858	3,17,164	7,90,19,77,518
मणिपुर	16,330	16,44,84,595	24,050	30,90,46,978	38,866	53,78,56,671
मेघालय	1,23,680	95,44,41,138	1,45,224	1,17,33,12,963	1,85,112	1,72,73,02,809
मिजोरम	16,915	20,90,05,800	13,904	17,75,48,426	23,309	31,45,54,215
नगालैंड	7,344	10,71,67,010	5,650	11,26,28,183	12,456	26,90,13,037
पुदुच्चेरी	2,477	1,04,12,784	11,863	7,43,66,025	24,733	20,29,34,373
पंजाब	4,15,749	4,63,91,79,389	5,28,728	6,59,47,20,315	2,96,695	3,75,98,04,956
राजस्थान	4,18,192	2,46,86,55,573	12,34,819	8,31,58,39,855	16,40,401	17,24,81,95,311
सिक्किम	1,937	1,56,62,360	2,753	1,89,63,767	4,792	4,34,43,238
तमिलनाडु	18,94,989	8,64,29,39,095	44,94,343	16,29,64,58,376	14,19,371	13,49,88,48,486
तेलंगाना	-	-	2,71,016	6,28,78,44,173	5,59,443	11,55,68,83,812
त्रिपुरा	30,075	24,05,89,648	45,892	40,44,19,915	76,522	79,10,33,687
उत्तर प्रदेश	3,14,580	2,97,67,00,084	4,94,345	5,68,31,01,349	8,22,346	12,45,84,57,823
उत्तराखंड	1,12,217	1,64,08,71,366	1,81,034	4,04,23,75,654	2,58,843	5,89,78,59,780
कुल	**83,60,740**	**89,14,14,73,282**	**1,48,00,807**	**1,58,87,04,84,129**	**1,56,24,727**	**2,27,12,41,83,237**

योजना के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुष्मान कार्ड बनाए गए
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	66,603
आंध्र प्रदेश	1,52,62,431
अरुणाचल प्रदेश	1,21,582
असम	1,66,45,359
बिहार	87,56,386
चंडीगढ़	1,74,819
छत्तीसगढ़	2,11,14,627
दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	4,34,860
गोवा	74,270
गुजरात	2,34,51,379
हरियाणा	1,09,13,451
हिमाचल प्रदेश	12,77,566
जम्मू और कश्मीर	84,16,633
झारखंड	1,18,93,379
कर्नाटक	1,55,61,248
केरल	75,41,781
लद्दाख	1,86,333
लक्षद्वीप	30,406
मध्य प्रदेश	3,86,06,192
महाराष्ट्र	2,52,60,891
मणिपुर	5,47,925
मेघालय	18,85,717
मिजोरम	5,09,997
नगालैंड	6,67,433
पुदुच्चेरी	4,87,560
पंजाब	84,32,128
राजस्थान	1,95,11,646
सिक्किम	69,240
तमिलनाडु	62,64,862
तेलंगाना	82,48,068
त्रिपुरा	13,97,187
उत्तर प्रदेश	4,89,37,809
उत्तराखंड	54,76,455

******